राजस्व अपील संख्या 51/2022

अनवान

नैनाराम वगैरा बनाम सरकार

दिनांक 21–04–2022

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । अपीलान्ट अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित आदेश कमांक/राजस्व/प्रगांसंअ/2021/3291 दिनांक 10–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष तहसीलदार बाप ने राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट के खातेदारी गांव चिमाणा स्थित खसरा नंबर 244/2 मे से 0.22 हेक्टेयर भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की अनुशंषा का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर रास्ता होने की जांच कराये बिना तथा अपीलांटगण खातेदारान को बिना सूचित किये अपीलांटगण के खातेदारी मे से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार की सहमति के बिना उसके खातेदारी मे से गै0मु0रास्ता घोषित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित. निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्रों एवं वधिक प्रावधानो को अनदेखा करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा

नैनाराम वगैरा बनाम सरकार

दिनांक 21–04–2022

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । अपीलान्ट अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखन्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित आदेश कमांक/राजस्व/प्रगांसंअ/2021/3291 दिनांक 10–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष तहसीलदार बाप ने राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट के खातेदारी गांव चिमाणा स्थित खसरा नंबर 244/2 मे से 0.22 हेक्टेयर भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की अनुशंषा का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर रास्ता होने की जांच कराये बिना तथा अपीलांटगण खातेदारान को बिना सूचित किये अपीलांटगण के खातेदारी मे से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार की सहमति के बिना उसके खातेदारी मे से गै0मु0रास्ता घोषित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित. निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्रों एवं वधिक प्रावधानो को अनदेखा करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर